



दिनांक/Dated: 19.03.2020

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान  
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units


महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं./ Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय ज्ञापन सं० 43020/2/2016-स्था. (क.IV) दिनांक 19.02.2020  Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 43020/2/2016-Estt (A.IV) dated 19.02.2020	छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी) के लिए प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों से यात्रा टिकट खरीदने में छूट के संबंध में स्पष्टीकरण।  Clarification regarding relaxation of purchase of air tickets from authorized Travel Agents for the purpose of LTC.

भवदीय/Yours faithfully

  
19.03.2020

संतोष कुमार/Santosh Kumar  
अनु. अधि. (नीति प्रभाग)/Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/  
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति/Office copy.



सं.43020/2/2016-स्था. (क.IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना क-IV डेस्क

\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) के लिए प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों से यात्रा टिकट खरीदने में छूट के संबंध में स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.6.2014 के का.जा. सं. 31011/4/2014-स्था. (क) (IV) तथा एलटीसी पर यात्रा टिकट बुक करने की प्रक्रिया के संबंध में उत्तरवर्ती का.जा. का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार जब कभी कोई सरकारी सेवक हवाई जहाज द्वारा एलटीसी का दावा करता है, उसे एलटीसी यात्रा (यात्राएं) करते समय हवाई यात्रा के टिकट सीधे एयरलाइंस (बुकिंग काउन्टर्स, एयरलाइंस की वेबसाइट) या प्राधिकृत ट्रेवल एजेंट अर्थात् 'मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी', 'मैसर्स अशोक ट्रेवल एण्ड टूअर्स' तथा 'आईआरसीटीसी' (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2-12-2009 के का.जा. सं. 31011/6/2002-स्था.(क) के अनुसार आईआरसीटीसी को प्राधिकृत किए जाने के स्तर तक) की सेवाओं का उपयोग करते हुए बुक कराने की आवश्यकता होती है।

2. इस संबंध में, 2010-13 की अवधि से संबंधित कई मामलों की रिपोर्ट इस विभाग में की गई है जहां सरकारी कर्मचारियों ने उस समय नियमों की जानकारी की कमी के कारण निजी ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक करने के पश्चात् विशेष अनुमति योजना के अधीन जम्मू और कश्मीर (जे एण्ड के) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए हवाई जहाज द्वारा एलटीसी पर यात्रा की थी। यह देखा गया है कि इन सरकारी सेवकों के दावों का प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा आरंभिक रूप से निपटान किया गया था। तथापि, जब कुछ वर्षों के बाद लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा कमियों को नोटिस किया गया तो इन दावों पर आपत्तियां उठाई गई थीं तथा ऐसे मामलों में दण्डात्मक ब्याज वसूलने के साथ वसूली करने का निर्णय लिया गया था। इन व्यक्ति विशेषों को हुई वित्तीय परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालयों/विभागों तथा जेसीएम से इन मामलों में एकबारगी छूट प्रदान करने के लिए कई मांगें प्राप्त हो रही हैं।

3. इस मामले पर संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी-कर्मचारी पक्ष और व्यय विभाग के परामर्श से इस विभाग में विचार किया गया है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जिन्होंने जनवरी, 2010-जून, 2014 की अवधि के दौरान जेएंडके और एनईआर का भ्रमण करने के लिए हवाई जहाज द्वारा एलटीसी का लाभ लिया था और नियमों की जानकारी की कमी के कारण 'मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी', 'मैसर्स अशोक ट्रेवल एण्ड टूअर्स' और आईआरसीटीसी के अलावा अन्य ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक किए थे, को एकबारगी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी छूट संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रदान की जाएगी। ऐसी छूट प्रदान करने से पहले सरकारी कर्मचारियों द्वारा यात्रा करते समय, उस समय लागू एलटीसी-80 की किराया सीमा और एलटीसी की अन्य शर्तों को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छूट के लिए केवल उन मामलों पर ही विचार किया जाता है जहां यह ज्ञात हो कि सरकारी सेवक द्वारा नेकनीयत से गलती हो गई तथा कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया गया।

जारी....2 /-

पूर्व -पृष्ठ से:

4. इसके अलावा, इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि प्राधिकृत पद्धति के माध्यम से एलटीसी पर हवाई यात्रा के टिकट बुक करने के संबंध में मौजूदा अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि उपर्युक्त प्रावधानों को समय-समय पर दोहराए जाने के बावजूद भी, अभी तक इस विभाग को नियमों की जानकारी की कमी तथा कार्य-आकस्मिकताओं के आधार पर निजी ट्रेवल एजेंटों से टिकट बुक करने के लिए छूट मांगने के मामले प्राप्त हो रहे हैं। अतः, मंत्रालयों/विभागों से पुनः इस विभाग के दिनांक 10.12.2018 के का.ज्ञा. सं. 31011/2/2018-स्था.(क) (IV) के तहत जारी किए गए अनुदेशों का अपने कर्मचारियों के मध्य व्यापक प्रचार करना सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद से, इस विभाग द्वारा कार्य की आकस्मिकताओं के आधार पर और नियमों की जानकारी की कमी के कारण छूट मांगने के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस विभाग द्वारा केवल ऐसे मामलों पर ही विचार किया जाएगा जहां प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इस तथ्य को प्रमाणित करें कि गलती, नेकनीयती से हुई है तथा सरकारी सेवक को अनुचित परेशानी हो रही है।

सूर्य नारायण झा  
19.2.20

(सूर्य नारायण झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग  
(मानक सूची के अनुसार)

सूचनार्थ प्रेषित:

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।



No. 43020/2/2016-Estt (A.IV)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
Department of Personnel and Training  
Establishment A-IV Desk

North Block, New Delhi-110 001  
Dated: February 19, '20

OFFICE MEMORANDUM

**Subject:- Clarification regarding relaxation of purchase of air tickets from authorized Travel Agents for the purpose of LTC.**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 31011/4/2014-Estt.A-IV dated 19.06.2014 and subsequent O.M. regarding the procedure for booking of air-tickets on LTC and to say that as per the extant instructions, whenever a Government servant claims LTC by air, he/she is required to book the air tickets directly from the airlines (Booking counters, website of airlines) or by utilizing the services of the authorized travel agents viz. 'M/s Balmer Lawrie & Company', 'M/s Ashok Travels & Tours' and 'IRCTC' (to the extent IRCTC is authorized as per DoPT O.M. No. 31011/6/2002-Est(A) dated 02.12.2009) while undertaking LTC journey(s).

2. In this regard, many cases pertaining to the period of 2010-13 have been reported in this Department where Government employees had travelled on LTC by air to visit Jammu & Kashmir (J&K) and North-East Region (NER) under the special dispensation scheme after booking the tickets through private travel agents due to lack of awareness of rules at that time. It has been observed that claims of these Government servants were initially settled by the administrative authorities. However, after few years when the audit authorities noticed the lapses, objections were raised on these claims and recoveries were ordered in such cases along with charging of penal interest. In view of the financial hardships caused to these individuals, huge demands are being received from Ministries/Departments and JCM for grant of one time relaxation in these cases.


3. The matter has been considered in this Department in consultation with Joint Consultative Machinery - Staff Side and Department of Expenditure. It has been decided to grant one time relaxation to such Government employees who had availed LTC by air to visit J&K and NER during the period of January, 2010 - June, 2014 and booked the tickets through travel agents other than 'M/s Balmer Lawrie & Company', 'M/s Ashok Travels & Tours' and 'IRCTC', due to lack of awareness of rules. Such relaxation shall be granted with the concurrence of Financial Advisor of the concerned Ministry/Department. Fulfillment of fare limit of LTC-80 and other LTC conditions prevalent at the time of performance of journey by the Government servants may be ascertained before granting such relaxations. The Administrative Ministries/Departments shall also ensure that only those cases are considered for relaxation where it is established that bonafide mistake has occurred and no undue benefit has accrued to/obtained by the Government servant.

contd...2/-



from pre-page:

4. Further, in this regard, it is reiterated that the extant instructions regarding booking of air tickets on LTC journey through authorised modes should be strictly complied with. It is seen that despite reiterating the above provisions from time to time, this Department is still in receipt of cases seeking relaxation for booking of tickets from private travel agents on the grounds of lack of awareness of rules and work-exigencies. Therefore, Ministries/Departments are again advised to ensure wide circulation of this Department's instructions issued vide O.M. No. 31011/2/2018-Estt.A-IV dated 10.12.2018, among their employees. Henceforth, the cases seeking relaxation on the plea of lack of awareness of rules and on grounds of exigencies of work shall not be considered by this Department. Only those cases, where the Administrative Ministry/Department will certify the fact that bonafide mistake has occurred and undue hardship is being caused to the Government servant, shall be considered by this Department.

  
17/12/20  
(Surya Narayan Jha)

Under Secretary to the Government of India

To

The Secretaries  
All Ministries/Departments of Government of India  
(As per the standard list)

Copy to:-

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
2. Union Public Service Commission, New Delhi.
3. Central Vigilance Commission, New Delhi.
4. Central Bureau of Investigations, New Delhi.
5. Parliament Library, New Delhi.
6. All Union Territory Administrations.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
8. All attached and Subordinate Offices of Ministry of Personnel, P.G. & Pensions.
9. Hindi section for Hindi version.